



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 118-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं यां०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्तम्भ संख्या-०४ में उल्लिखित निगम/स्थान को स्थानान्तरित कर तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त होंगे :-

क्र० सं०	नाम/अभिभा० संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात पदनाम एवं तैनाती कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री सुधीर कुमार वर्मा/ 81139/(००१०१०१०१०)/ बस्ती/30.09.2017	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियन्ता, लेसा, मविविनिलि, लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,(वै० एवं यां०) मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिं० लखनऊ।

- 2— श्री सुधीर कुमार वर्मा को मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, (वै० एवं यां०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अधिकारी की अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम अधिकारी मुख्य अभियन्ता, स्तर-2(वै० एवं यां०) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे ।
- 3— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
4. सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे ।
- 5— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 6— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकलि(०६)-२००१ दिनांक 11-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 118-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1— मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 2— अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव ।
- 4— समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- 5— समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 7— उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव (2अ)